Popular Front of India

+91 11 46526919
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial

@PFIOfficial
/PopularFront EMedia
/pfiofficial

प्रेस रिलीज
25 मई 2021

लक्षद्वीप के लोगों की सांस्कृतिक पहचान व नागरिक अधिकारों के खिलाफ लिए जा रहे फैसलों को रोका जाना जरूरीः पॉपुलर फ्रंट

नई दिल्लीः पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ओ एम ए सलाम ने अपने हालिया बयान में देश की लोकतांत्रिक ताकतों से अपील की है कि वे आगे बढ़कर केंद्र सरकार के उन फैसलों का विरोध करें जिनके कारण लक्ष्यद्वीप के निवासियों की धार्मिक, सांस्कृतिक व भाषाई पहचान और नागरिक अधिकार खतरे में पड़ गए हैं।

प्रफुल्ल पटेल के यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर का पद संभालने के बाद से लक्षद्वीप में जिन कायदे–कानूनों को बढ़ावा दिया जा रहा है वे अत्यंत चिंताजनक और लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले हैं। बीजेपी नेता और मोदी के करीबी माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल की नियुक्ति गलत इरादों के साथ लिया गया एक राजनीतिक फैसला है और यह उस नियम के खिलाफ भी है जिसके तहत एक यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आईएएस अधिकारी होना आवश्यक है। उनके प्रशासन में अपनाए जा रहे तानाशाही तरीकों के न केवल महाद्वीप के निवासियों की रोजमर्रा के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं, जो उनकी अनूठी संस्कृति व परंपराओं को बर्बाद कर देंगे, बल्कि इससे पूरे महाद्वीप की जैव विविधता और पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचेगा। बीफ पर प्रतिबंध और स्कूलों के मिड–डे मील के मेनू से बीफ को हटाने का दमनकारी फैसला मुस्लिम बहुल आबादी के भगवाकरण के संघ परिवार के एजेंडे का हिस्सा है।

लगभग साल भर से यह महाद्वीप कोविड से आजाद रहा है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने लोगों के कड़े विरोध के बावजूद कोविड के नए नियमों को लागू किया, जिसके बाद से यह महामारी यहां तेजी से फैलने लगी। इस नए प्रोटोकॉल के विरोध में जो लोग भी आगे आए उन्हें गंभीर मुकदमों के तहत गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। अभी लक्ष्यद्वीप में गुंडा एक्ट भी लाने की कोशिश की जा रही है, जो एक काला कानून है, जबकि लक्ष्यद्वीप देश की सबसे शांतिपूर्ण टेरिटरीज में से एक है, जहां अपराध और कैदियों की संख्या सबसे कम है। इसे महाद्वीप में उठ सकने वाली हर राजनीतिक विरोध की आवाज के खिलाफ दमनकारी कार्यवाहियों की दस्तक समझना चाहिए।

लक्ष्यद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन अलोकतांत्रिक व गलत तरीके से महाद्वीप के निवासियों पर जमीन के मालिकाना हक और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि विकास के नाम पर सरकार को किसी भी जमीन को अपने कब्जे में लेने का पूरा अधिकार देता है। सरकार अब बिना किसी पेशगी नोटिस के कोस्टल रेगुलेशन जोन के नियमों के नाम पर उन छप्परों को तोड़ रही है, जिसे मछुआरे अपनी कश्तियां खड़ी करने और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते थे। यह लोगों के रोजगार पर हमला है। याद रहे कि आमतौर पर महाद्वीप के बाशिंदों की रोजी–रोटी मछली पकड़ने पर निर्भर है। वहीं टूरिज़्म व अन्य सरकारी विभागों की ओर से सैकड़ों अस्थाई मजदूरों को काम से निकाल दिया गया है। महाद्वीप के लोगों पर ऐसे अजीबोगरीब कानून और पाबंदियां लगाई जा रही हैं जो पूरे देश में कहीं लागू नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर, लक्षदीप पंचायत रेगुलेशन के ड्राफ्ट में यह कहा गया है कि 2 से ज़्यादा बच्चों वाले लोग लोकल बॉडी चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते।

लक्ष्यद्वीप केवल हमारी छुट्टियां मनाने और घूमने–फिरने की एक जगह नहीं है। बल्कि इससे बढ़कर वह कुछ लोगों का घर भी है जिन्हें वे सभी समान अधिकार प्राप्त हैं जो देश के हर नागरिक को हासिल है। साथ ही उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में विशेष अधिकार भी हासिल हैं। उनकी अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक व भाषाई पहचान है। उनके नागरिक अधिकार छीनने और उनकी अनूठी पहचान को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश फासीवाद है। पॉपुलर फ्रंट देश की सभी लोकतांत्रिक ताकतों से अपील करता है कि वे आगे बढ़कर लक्षद्वीप के निवासियों के खिलाफ हिंदुत्व दमनकारी कार्यवाहियों को रोकें।

डायरेक्टर, मीडिया एवं जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली